www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 17.04.2017

सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन के सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों/ मंत्रियों, तत्कालीन संसद सदस्य/ तत्कालीन विधान सभा सदस्य एवं एक पुलिस अधिकारी के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने वर्ष 2016 की समादेश याचिका संख्या 5243 (डब्ल्यू), वर्ष 2016 की समादेश याचिका संख्या 5175 (डब्ल्यू) एवं वर्ष 2016 की समादेश याचिका संख्या 5224 (डब्ल्यू) में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 17.03.2017 के आदेश के अनुसरण में की गई प्राथमिक जॉंच पड़ताल के परिणाम स्वरूप कुछ संसद सदस्यों ; विधान सभा के सदस्यों/ मंत्रियों ; तत्कालीन संसद सदस्य/ तत्कालीन विधान सभा सदस्य एवं पश्चिम बंगाल के एक पुलिस अधिकारी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 तथा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ए) और (डी) के तहत मामला दर्ज किया।

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को प्राथमिक जॉंच पड़ताल करने एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गयी समिति से स्टिंग ऑपरेशन के उपकरणों तथा सी.एफ.एस.एल. की रिर्पोट को अपने नियंत्रण में लेने के पश्चात 72 घंटे के भीतर निष्कर्ष पर पहुँचने का निर्देश दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह भी पता लगाने का निर्देश दिया कि 2016 की उक्त याचिका संख्या 5243 (डब्ल्यू) का प्रति वादी, स्टिंग ऑपरेशन की विडियो फुटेजों में भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त है या नही तथा इसके अतिरिक्त अपने आदेश में लिखा कि जॉंच पड़ताल के परिणाम पर निर्भर

करते हुए, सीबीआई कथित अपराधों के सन्दर्भ में प्राथमिक सूचना रिर्पोट (FIR) अविलम्ब दर्ज करेगी और कानून के तहत उक्त मामले की जॉंच आगे बढ़ायेगी।

प्रतिवादी ने विशेष अनुमति याचिका दायर कर माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दी, परन्तु वर्ष 2017 की विशेष अनुमति याचिका (अपराध) संख्या 2259 तथा 2261 में जारी दिनांक 21.03.2017 के आदेश माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त जनहित याचिकाओं में आरोपों की सीबीआई द्वारा प्राथमिक जॉंच पड़ताल हेतु माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों को सही ठहराया। हालॉंकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गये आदेश की तिथि से एक माह का समय सीबीआई को जॉंच पड़ताल हेतु प्रदान कर समय सीमा में छूट दी।

सीबीआई ने उक्त आरोपो की प्राथमिक जॉंच पड़ताल शीघ्रता से की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं भारतीय दण्ड संहिता की उपयुक्त धाराओं के तहत नियमित मामले (प्राथमिक सूचना रिर्पोट) दर्ज करने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री की जानकारी जॉंच पड़ताल से सामने आयी।

आगे की जॉंच जारी है।

****